कार्यालय प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा-II), तमिलनाडु एवं पुदुचेरी,
लेखापरीक्षा भवन, 361, अण्णा सालई, तेनामपेट, चेन्नई – 600 018

सं.प्रमले.(लेप- II)/आई.एस.टी.सी/2024-25/356 **दिनांक: 26.02.2025**

विषय: लैपटॉप की आपूर्ति के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने के संबंध में ।

नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार एक लैपटॉप की आपूर्ति के लिए मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। निबंधन और शर्तें निम्नानुसार हैं:

1. किसी भी तरह से अपर्याप्त या अपूर्ण निविदाएं या निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने वाली निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी। निविदाकर्ताओं/फर्मों द्वारा किसी भी रूप में प्रचार करने पर उनकी निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी। मूल्य में वृद्धि या वितरण/संस्थापन की समय-अनुसूची में विस्तार के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. कोटेशन में अपेक्षित हार्डवेयर का मेक, मॉडल, टाइप और विस्तृत विनिर्देश स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। वारंटी, वितरण की अवधि, और संस्थापन शुल्क, यदि कोई हो, और कर प्रावधान आदि जैसे अन्य विवरण, यदि आवश्यक हो, तो स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।
3. निविदाकर्ता/फर्म को, आवश्यकतानुसार, **क्रय आदेश जारी करने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर क्रय आदेश में बताए गए स्थान पर या ऐसे स्थान पर हार्डवेयर की डिलीवरी करनी होगी**, जैसा कि संकेत किया गया है। डिलीवरी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि ऑर्डर किए गए हार्डवेयर का निरीक्षण नहीं किया जाता और ऑर्डर में दिए गए प्रावधान के अनुसार हमारे द्वारा उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता। कंप्यूटर हार्डवेयर की मात्रा तथा उनके पार्ट नंबर का उल्लेख डिलीवरी के समय चालान के साथ किया जाएगा। खरीदे गए सामान का स्वामित्व केवल डिलीवरी और पूर्ण संस्थापन के बाद ही विभाग को दिया जाएगा।
4. विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सख्त समय-अनुसूची को देखते हुए साइट पर वितरण और संस्थापन के लिए दिए गए शेड्यूल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए क्योंकि समय अनुबंध का सार है। निर्दिष्ट समय से परे वितरण और संस्थापन में किसी भी अनुचित और अस्वीकार्य देरी के लिए निविदाकर्ता/फर्म को 0.5% (आधा प्रतिशत) की दर से निश्चित क्षति के लिए उत्तरदायी माना जाएगा, जो अधिकतम तीन सप्ताह के अधीन है और उसके बाद हम लंबित आपूर्ति के लिए आदेश को रद्द करने और किसी अन्य निविदाकर्ता/फर्म से इसे प्राप्त करने और निविदाकर्ता/फर्म की बैंक गारंटी (यदि कोई हो) को शामिल करने का विकल्प रखते हैं। इसके अलावा, निविदाकर्ता/फर्म बिना आपूर्ति की गई वस्तुओं के मूल्य का 8.5 प्रतिशत

(साढ़े आठ प्रतिशत) रद्दीकरण शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। ऐसी राशि निविदाकर्ता/फर्म को देय या देय होने वाली किसी भी धनराशि से काटी जा सकती है। ऐसी राशियों का भुगतान या कटौती निविदाकर्ता/फर्म को कमीशनिंग की प्रक्रिया पूरा करने का या अनुबंध के तहत उनके अन्य दायित्व और देयताओं से मुक्त नहीं करेगा। आदेश देने वाले निर्णायक प्राधिकारी, यानी वरिष्ठ उप मले/प्रशासन और आईएसटीसी का निर्णय अंतिम होगा कि कमीशनिंग में देरी निविदाकर्ता/फर्म के कारण हुई है या नहीं।

5. मानक भुगतान शर्तें, यदि कोई हो, लागू होने वाली क्षतिपूर्ति के रूप में या अनुबंध की शर्तों के तहत अन्य वसूली के अधीन लागू होंगी। भुगतान <u>वितरण और आपूर्ति के भौतिक निरीक्षण और खरीदारों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वितरण चालान की मूल/प्रति और कानूनी रूप से वैध बिल प्रस्तुत करने</u> के अधीन किया जाएगा। चालान तीन प्रतियों में प्रश्तुत किया जाना चाहिए। बिलों में शुल्क हमेशा सहमत मूल्य/लागत/दरों पर दर्ज किए जाएंगे ।
6. सभी भुगतान केवल सरकारी ई-भुगतान प्रणाली के माध्यम से किए जाएंगे, जिसके लिए निविदाकर्ता/फर्म को भुगतान करने के लिए बैंक विवरण, अर्थात आईएफएससी कोड और बैंक खाता संख्या प्रदान करनी होगी। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। गलत बैंक खाता संख्या और/या आईएफएससी कोड प्रदान करने के कारण किसी अन्य बैंक खाते में किए गए किसी भी गलत भुगतान के लिए यह कार्यालय उत्तरदायी नहीं है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए, निविदाकर्ता/फर्म रद्द किए गए चेक लीफ की एक प्रति दे सकता है जिसमें आईएफएससी कोड और बैंक खाता संख्या हो जिसमें भुगतान किया जाना है।
7. सभी तकनीकी प्रश्न/शिकायतें, जो अनिश्चित हो सकती हैं, का सम्पूर्ण वारंटी/समर्थन अवधि के दौरान तत्काल समाधान किया जाएगा।
8. आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था, जो एक बार या विभिन्न खंडों में हो सकता है, आवश्यकता और स्थिति के अनुसार निविदाकर्ता/फर्म द्वारा उपयोगकर्ताओं को नि:शुल्क दिया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो हार्डवेयर के उपयोग के लिए आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण/समर्थक सेवाओं की व्यवस्था संबंधित उपयोगकर्ताओं के लिए की जाएगी अथवा संपूर्ण वारंटी/समर्थन अवधि के दौरान मांग के आधार पर की जाएगी।
9. यदि ऐसा प्रतीत होता है कि आपूर्ति की गई मशीन दोषपूर्ण है या विवरण के अनुसार नहीं है या अनुबंध के अनुसार गुणवत्ता में घटिया है या अन्यथा अनुबंध के अनुसार नहीं है, तो निविदाकर्ता/फर्म को मांग पर तुरंत दोष को ठीक करना होगा या अनुबंध में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार अपनी लागत और खर्च पर नई मशीन प्रदान करनी होगी और यदि वह हमारी उपरोक्त मांग में हमारे द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो निविदाकर्ता/फर्म मशीन (मशीनों) की कीमत का 1% (एक प्रतिशत) प्रतिदिन 10 दिनों से अधिक नहीं, जब तक कि उसकी ऐसा करने में विफलता जारी रहती है, क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी विफलता की स्थिति में, खरीदार निविदाकर्ता/फर्म से मशीन (मशीनों) की कीमत वसूल किए जाने का हकदार होगा।

10..निविदाकर्ता/फर्म अनुबंध की अवधि के दौरान हर समय तमिलनाडु सरकार या केंद्र सरकार या इस कार्यालय और अन्य सभी स्थानीय प्राधिकरणों के विनियमों का पालन करेगा और विभिन्न श्रम अधिनियमों में निहित प्रावधानों का अनुपालन करेगा जो राज्य विधानमंडल और संसद द्वारा लागू किए गए हैं और उनके तहत बनाए गए नियम जिनमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, भविष्य निधि विनियमन आदि शामिल हैं, श्रमिकों के कल्याण और संरक्षण के लिए या जनता की सुरक्षा और अन्य बीमा प्रावधानों के लिए लागू हैं।

11. अनुबंध निष्पादित करते समय निविदाकर्ता/फर्म अपने कर्मचारियों/इंजीनियरों अथवा कार्यालय परिसर के अंदर अन्य व्यक्तियों को लगी चोट तथा संपत्ति को हुई किसी भी हानि के लिए इस कार्यालय को क्षतिपूर्ति के किसी भी दायित्व हेतु उत्तरदायी नहीं ठहराएगा।

12. अंतिम सहमत मूल्य में सभी कर, पैकिंग और अग्रेषण, भाड़ा, पारगमन बीमा और संस्थापन प्रभार शामिल हैं। अन्य सभी प्रभार, शुल्क और अन्य व्यय, चाहे किसी भी विवरण के हों, निविदाकर्ता/फर्म द्वारा भुगतान किए जाएंगे।
13. जहां कोई विनिर्देशन नहीं है वहां कार्रवाई: किसी भी वर्ग के विनिर्देशों या वर्ग के कार्य के मामले में जिसका विनिर्देशों में या इन निबंधनों और शर्तों में कोई उल्लेख नहीं है, ऐसे कार्य/विनिर्देश को खरीदार के अनुदेशों और आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा।
14. उत्पाद का उद्धृत मूल्य कोटेशन की तारीख से 30 दिनों तक वैध होना चाहिए।
15. इस अनुबंध के संचालन की अवधि के दौरान इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, चेन्नई स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

कोटेशन सीलबंद लिफाफे में भेजे जाने चाहिए, जिसके ऊपर **"लैपटॉप की आपूर्ति के लिए कोटेशन"** उपरिलिखित हो और इसे **वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन और आईएसटीसी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) II, तमिलनाडु, लेखापरीक्षा भवन, 361, अन्ना सालै, चेन्नई 600 018** को संबोधित किया जाना चाहिए, ताकि यह **03.03.2025 को शाम 4:00 बजे** या उससे पहले पहुंच जाए। निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा/कोटेशनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह कार्यालय बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

किसी भी स्पष्टीकरण की स्थिति में, आप कार्यालय समय के दौरान नीचे उल्लिखित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

Sd/-

वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन & आईएसटीसी

<u>स्पेसिफिकेशन्स:</u>

क्रम सं	**विवरण**	न्यूनतम विन्यास
1.	प्रोसेसर टाइप	एम टी चिप
2.	प्रोसेसर	8 कोर सीपीयु, 10 कोर सीपीयु
3.	आरएएम साइज़	16 जीबी
4.	हार्ड डिस्क ड्राइव	256 जीबी एसएस़डी
5.	ओपरेटिंग सिस्टम	मैक ओएस
6.	डिस्प्ले साइज़	13 इंच
7.	कैरी केस	सम्मिलित